भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादन 25 सुभाष रोड, देहरादून-248001 दूरभाषः 0135-2650809 फैक्स-0135-2653010 ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001 PHONE- 0135-2650809 FAX-0135-2653010 Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 173 / 2020 / एफ0 सी0 / 2082

दिनांकः 31/12/2020

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादुन।

विषय:- जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत पाली जमन सिंह के मकान से पाली होते हुये लीमा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.80 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/20732/2016)

सन्दर्भ:--अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक --1590 / FP/UK/ROAD/20732/2016 दिनांक 05-12-2020

महोदय.

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सूनिश्चित की जा सके:—

- 1- As per DSS analysis, 1.50 ha area out of total 3.60 ha area of CA is overlapping with proposal number FP/UK/ROAD/22925/2016. State Government may submit clarification in this regard and select some other area suitable for CA.
- 2- KML file of the proposed area is not found uploaded. State Govt. may upload the KML file of area proposed for diversion at para C (ii) in Part I online.
- 3- It is seen that some other document found uploaded at para L (iv) f in Part I instead of ownership proof of CA land. State Govt. may upload the ownership proof of CA land at para L (iv) f in Part I.
- 4- It is seen that the name of CA area is not mentioned in the CA scheme. State Govt. may upload CA scheme mentioning the name of the CA area.
- 5- As per the norms of Indian Road Congress:52-2019, RoW may be kept as 9 m but the tree felling be allowed only in 5.2 m on alignment and 6.1 m on curves/ turns. Therefore, trees enumerated on the RoW will not be required to be felled. State Govt. is required to submit enumeration list of trees for 6.1 m width on turns and 5.2 m for rest of the alignment.
- 6- State Govt. may upload a clear and legible copy of the administrative approval, muck disposal plan, geologist report and tree enumeration list as copy uploaded now is not legible.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहराद्न।

(टी० सी० नौटियाल) उप महानिरीक्षक, वन (के0)